ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-2, No.-2, **PP-80-83**,YEAR-2015

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं धरेलू हिंसा अधिनियम–2005

❑ **डॉ0 भावना**

सारांश– *संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों के तहत स्त्री–पुरुष की गैरबराबरी समाप्त करने की और नारी सशक्तीकरण की पहल समय–समय पर होती रहती हैं। भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा का मुद्दा सन् 1975 से ही नारी मुक्ति आंदोलन का अहम् हिस्सा रहा है। वियना का 1994 का सम्मेलन, बीजिंग का 1995 का घोषणा–पत्र एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन, जिसमें कि किसी भी प्रकार की लिंग–विषमता को समाप्त करने के प्रस्ताव पर देशों ने हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता की मुहर लगाई थी, जिसमें भारत की भी भागीदारी (CEDAW) प्रमुख थी। विश्व स्तर पर स्त्री के अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में मान्यता पर भी जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन, बीजिंग सम्मेलन तथा अन्य अनेकों सम्मेलन केवल नारी अधिकारों के मसविदों में कैद हो गये और भारत में दहेज–हत्या , भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या, बलात्कार, मारपीट, यौन–उत्पीड़न की घटनायें बढ़ती रहीं। स्पष्ट है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं वैधानिक प्रगति के बावजूद औरतें घर में, कार्यालय में, सड़क पर तथा हर स्थान पर, असुरक्षित हैं। गैरबराबरी मानवाधिकारों को कुचल रही है और स्त्री को असुरक्षित और कमजोर बनाने को सामाजिक एवं सांस्थतिक स्वीकार्यता मिली हुई है। वैज्ञानिक विकास ओर उन्नत तकनीकी ने स्त्री हिंसा एवं यौन–शोषण क तरीकों में भी इजाफा किया है।*

प्रस्तुत प्रपत्र स्त्रियों के प्रति हिंसा के आधारभूत कारणों, हिंसा के प्रकार एवं समाधान के उद्देश्यों को लेकर प्रस्तुत किया गया है। यह पूर्ववर्ती साहित्य, सरकारी ऑकड़ों, सेमिनार, सम्मेलनों की रिपोर्ट, वार्तालाप, शोध पत्रिकाओं पर आधारित समाजशास्त्रीय विश्लेषण हैं। सन् 2011 की जनगणना के ऑकड़े चौंकाने वाले हैं। सन् 1901 में प्रति 1000 पुरुष में 972 का अनुपात था, जो कि 2001 में 933, किन्तु 2011 में यह अनुपात 940 हो गया। यह अत्यंत खेदजनक है कि 0–6 वर्ष के बच्चों का अनुपात हमारे देश की लिंग विषमता को प्रस्तुत करता है। सन् 2001 में 1000 लड़कों पर केवल 914 रह गया[1] तथा भारत में भ्रूण हत्या का व्यवसाय प्रतिवर्ष 500 करोड़ से भी अधिक का पनप रहा है। 10 लाख कन्यायें प्रतिवर्ष भ्रूण में ही समाप्त हो जाती हैं। सार्वजनिक सथानों पर बलात्कार की बढ़ती घटनायें ताजा कानूनों की बन्दिशें भी नहीं मानती हैं। सर्वेक्षण बतलाते हैं कि प्रत्येक 01 मिनट में बलात्कार होते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऑकड़े बतलाते हैं कि प्रत्येक दिन 16 से अधिक दहेज हत्या होती है जो कि रिपोर्ट के आधार पर है। ऐसी बहुत सी घटनायें प्रकाश में भी नहीं आती हैं। लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय परिवार ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी रूप में महिलाओं को हिंसा एवं शोषण का शिकार बनाया जाता हैं। स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश आते हैं।"वीमेन्स संस्था"की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में मनोरोग वार्डों में पीड़ित 60 प्रतिशत महिलायें पागल नहीं वरन् घरेलू हिंसा की शिकार हैं। एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार 80 प्रतिशत कामकाजी महिलायें कार्यालय या कार्योजित स्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। मार्क्सवादी विचारधारा औरत की इस चिंताजनक स्थिति के मूल में सामंतवादी–पूँजीवादी सोच को मानते हैं, जो स्त्री–पुरुष का सम्बन्ध समानता का न होकर आश्रयदाता एवं आश्रित का बना हुआ है।

विभामाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, महिला महाविद्यालय पी0जी0 कॉलेज, किदवई नगर, कानपुर, (उ0प्र0) भारत

जब स्त्री आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी तो हर तरह की हिंसा और शोषण पर रोक लगेगी। पुरुष–सत्ता के कारण ही पुरुष मालिक और औरत एक संपत्ति की तरह रहती है। आर्थिक शोषण और हिंसा के बीच गहरा सम्बन्ध है। यह माना जाता है कि मध्यमवर्गीय एवं उच्चमध्यमवर्ग के पुरुष का एक बडा हिस्सा पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव बनाकर स्त्री का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने से रोक कर एक ओर अपने ईगो को संतुष्ट करता है तो दूसरी ओर स्त्री के अस्तित्व को नकार कर आश्रित एवं असहाय की भूमिका स्वीकार करने को स्त्री विवश होती है। निम्न एवं निम्न–मध्यमवर्गीय महिलाओं को असंगठित क्षेत्रों में कम मूल्य पर श्रम करने को मजबूर होती हैं तथा आर्थिक शोषण के साथ ही यौन–शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। पश्चिमी नारीवादी आंदोलनों ने भारत के महिला आंदोलनों को भी प्रभावित किया है।

पश्चिमी नारीवादी आंदोलन पश्चिमी पूँजीवादी यौन धारणाओं से प्रभावित होकर केवल आर्थिक शोषण ओर संपत्ति पर अधिकार ही यौन हिंसा का आधार मानता रहा। भारत में महिलाओं को दूसरे दर्जे का स्थान मिलने का कारण केवल आर्थिक नहीं वरन् सामाजिक, सांस्धतिक, धार्मिक भी है, जिसकी जड़ें गहराई से सदियों से जमी हुई हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा नारीशोषण का निम्नतम एवं क्रूरतम रूप है। पितृसत्तात्मक समाज में गर्भ से मृत्यु तक उसे असमानता के कारण हिंसा का शिकार बनना होता हैं कन्या भ्रूण–हत्या, दहेज के नाम पर अत्याचार एवं हत्या, पति पर आश्रित होने के कारण मारपीट सहना, घर के बाहर बलात्कार, वेश्यावृत्ति, तस्करी, महिलाओं के साथ कार्यालयों और सड़कों पर छेड़खानी, आदि घटनायें उसके निम्नस्तर एवं वस्तु के रूप में समझने के कारण है। यदि स्त्री प्रथाओं और परंपराओं को तोड़कर आत्मनिर्भर होकर जीना चाहती है तो उसे यौन–शोषण और यौन हिंसा का शिकार बनना पड़ता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण ने निम्न एवं मध्यमवर्ग की महिलाओं के श्रम का शोषण किया है। उन्हें एक सस्ते श्रम का माध्यम एवं शांत कार्य करने वाला समझा जाता है।विकसित देश एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ स्त्रियों के साथ–साथ बालिकाओं के श्रम का अनुचित लाभ उठाती हैं। तकनीकी विकास ने चिकित्सीय सुविधा के नाम पर शोषण का हथियार बनाया है। इसका ज्वलंत उदाहरण कन्या भ्रूण–हत्या है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने स्त्री को उपभोक्ता वस्तु बनाया है तथा अधिक माल की खपत के नाम पर उसके अंग–अंग को बेचने की साजिश की है। यह कहा जा सकता है कि हिंसा एक ओर यौन उत्पीड़न में प्रकट हो रही है तो दूसरी ओर अनेकों माध्यम से यौन भावनाओं का प्रकटीकरण हिंसक होता जा रहा है तथा महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। सन् 2001 में महिला सशक्तीकरण वर्ष के उपलक्ष्य में "राष्ट्रीय महिला नीति" की पहल हुई तथा सन् 2005 में परिवार में होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिये "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005" बना जो कि 26 अक्टूबर, 2006 से क्रियान्वित हुआ।

इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित हिंसा को निम्न रूप से समझा जा सकता है–

1. **शारीरिक दुर्व्यवहार –**इसके अंतर्गत ऐसा आचरण, जो पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, क्षति, उसके जीवन, अंग अथवा स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करता है अथवा बल प्रयोग एवं मारपीट करता है, शामिल है।
2. **लैंगिक दुर्व्यवहार –** बलात्कार, अश्लील साहित्य के अवलोकन के लिये बाध्य करना, यौन क्रिया–कलापों हेतु पीड़िता को मजबूर करना तथा, किसी भी प्रकार का यौन सम्बन्धी दुर्व्यवहार इस धारा के अंतर्गत आता है।
3. **मौखिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार –** अपमान, तिरस्कार, उपहास, गाली देना, लड़का या बच्चे न होने पर अपमान करना, धमकी देना, जिसमें कि शारीरिक पीड़ा शामिल हो, आदि से पीड़ित महिला भावनात्मक तनाव एवं दबाव की शिकार होती है।
4. **आर्थिक दुर्व्यवहार –** ऐसी आर्थिक सुविधायें, जिनके लिये व्यक्ति प्रथा अथवा विधि से अधिघ्त है, से वंचित रखना, गृहस्थी की चीजों के साथ ही समस्त संपत्ति, जंगम अथवा स्थावर, मूल्यवान वस्तुओं, शेयर, प्रतिभूति, बंधपत्र, जिसके लिये घरेलू रिश्तेदारी के आधार पर प्रयोग के लिये अधिघ्त है, स्त्रीधन, संयुक्त सम्पत्ति अथवा पृथक संपत्ति, जिसकी वह अधिकारी है, ऐसे

समस्त संसाधन, सुविधायें जिसका उपयोग एवं उपभोग वह कर सकती है, वेतन या मजदूरी छीनना, नौकरी न करने देना, आदि इस धारा में सम्मिलित हैं। इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट है कि समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को भी संज्ञान में लिया जाएगा। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण अधिकारी, निकटतम पुलिस थाने की सहायता लेने का प्रावधान है। महिलाओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा हेतु इस अधिनियम के आधीन कोई रजिस्टर्ड कंपनी या स्वयंसेवी संस्था विधिक सहायता, चिकित्सीय या वित्तीय सहायता के इच्छुक होते हैं तो उन्हें सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर्ड किया जाता है।[2]

घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को संरक्षण, सहायता तथा सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम अत्यत ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विवाह एवं परिवार संस्था पर प्रभाव पड़ता है तथा यह परिवार के अंतर्गत क्रूरता को नये रूप से परिभाषित करता है। यह एक ओर पुरुष वर्ग की सामन्तवादी प्रवृत्ति को चुनौती देता है तो दूसरी ओर पीड़ित महिला एवं बच्चों को सुरक्षा का अधिकार देता है। इस अधिनियम के पूर्व भी महिलाओं के हित में अनेकों कानून बने जिनके अंतर्गत दहेज, विवाह, तलाक, वेश्यावृत्ति, संपत्ति सम्बन्धी अधिकार महिलाओं को मिले, किन्तु यथार्थ यह है कि महिलाओं को समाज में दूसरे दर्जे तथा संपत्ति के रूप में ही मान्यता मिली। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु अधिनियम के साथ में मेरे निम्न सुझाव हैं–

सुझाव –

स्त्री–पुरुष में लिंगजनित गैरबराबरी की अवधारणा स्त्री को आश्रित एवं शोषक की भूमिका में स्थापित कर देती है। पुरुष मालिक एवं स्त्री पुरुष की संपत्ति मानने की भावना घर की चहारदीवारी में जड़ जमाये हुए है। मारपीट की घटनाओं एवं स्त्री को शांत रहने की सीख को सामाजिक एवं सांस्थतिक स्वीकार्यता मिली है। इस भावना का प्रतिवाद स्त्री ही कर सकती हैं उसे जागरूक होकर आत्म–सम्मान से जीना सीखना होगा। इस सम्बन्ध में स्वसहायता समूह के गठन की चर्चा भी की जाती है कि पड़ोस की महिलाओं के साथ मिलकर इस प्रकार के समूह गठित किये जायें जो कि सभी स्त्रियों की सुरक्षा के लिये तत्पर रहें तथा स्त्री अपने को मजबूर एवं अकेली न महसूस करे। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मूल में उनके माता–पिता की भी विशिष्ट भूमिका है। पुत्री की शिकायत पर भी उसे ससुराल जाने के लिये बाध्य करना, दहेज लोभी परिवार को धन देते रहना, मारपीट सहने के लिये उसे मजबूर करना, दहेज हत्या पर रिपोर्ट न लिखवाना, बलात्कार होने पर भी शांत रहना तथा लड़कियों को ही दोषी ठहराना आदि दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देते हैं। अभिभावकों को भी कानूनी प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के साथ ही पुत्रियों के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदलना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफी सीमा तक महिलाओं के प्रति हिंसा के लिये जिम्मेदार है। भौतिकवादिता एवं उपभोक्तावादी संस्थति का ज्वलंत उदाहरण है। धूम्रपान, मद्यपान, अवैध रिश्तों का ग्लैमर, विज्ञापन में नारी का अनुचित उपयोग, एक ओर उन्मुक्त नारी का चित्रण तो दूसरी ओर नारी रूढ़ियों से बंधी गुलामी का जीवन जीती दिखाई जाती है। पर्वों एवं उत्सवों को ग्लैमराइज किया जाता है जिनमें कि स्त्री की अस्मिता समाप्त कर दी जाती है। स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़कर शासन की नीति परिवर्तित कराना अनिवार्य होगा। विकास के इस दौर में भी महिला शिक्षा के ऑकड़े काफी नीचे हैं। शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता महिला को सशक्त बनायेगी। यद्यपि पंचायतराज में महिला आरक्षण ने ग्रामीण महिलाओं को जागरूक बनाया है, किन्तु विधान सभा एवं संसद में भी 30 प्रतिशत आरक्षण शासन में महिलाओं के हित में प्राभावी नीतियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। महिला हिंसा रोकने में पुलिस, थाना एवं न्यायालयों में भी सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। पुलिस एवं थानों का दृष्टिकोंण महिलाओं के प्रति सहानुभूति का प्रायः वही होता है। रिपोर्ट लिखने से लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करने में उनके प्रति पीड़िता का विश्वास नहीं रह गया है। इसके मूल में पुरुष मानसिकता का दबाव भी रहता है। न्यायालयों में कार्यवाही की लंबी प्रक्रिया, धन–बल की विजय आदि त्वरित न्याय नहीं दिला पाते। अतः महिला न्यायालयों की स्थापना आवश्यक है, ताकि महिला न्यायाधीश पीड़िता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखें

तथा महिलाओं से सम्बन्धित मुकदमें होने के कारण न्याय की जल्दी मिलने की संभावना होगी। ऐसे महिला न्यायालयों की स्थापना हुई है, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। इन्हें प्रत्येक जिले में स्थापित करना आवश्यक है। विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में सुरक्षा का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। वैधानिक जागरूकता हेतु पाठ्यक्रम में स्थान देकर छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों से परिचित एवं जागरूक करना समय की आवश्यकता है। इस पर विशेष प्रयास की आवश्यकता है। स्वयंसवी संस्थायें विभिन्न माध्यमों से जागरूकता का अभियान चलायें। मीडिया की अहम् जिम्मेदारी है कि महिला हिंसा की घटनाओं को अपने समाचार पत्रों एवं टी0वी0 चैनल पर विशेष स्थान दें। जन मन की जागरूकता संपूर्ण समाज को जागरूक करती है। कुछ समय पूर्व की दिल्ली का बलात्कार काण्ड इसका ज्वलंत उदाहरण है, जब संपूर्ण देश में हलचल मच गयी एवं सरकार को प्रभावी कानून बनाने के लिये मजबूर होना पड़ा।

एक अत्यन्त प्रभावशाली कदम इस वर्ष उठाया गया है, जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रमों में ऐसे उदाहरणों को हटा दिया जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें पुरुष और महिला में असमानता दिखलाई जाती थी। जैसे काम करने वाला पुरुष और स्त्री को केवल गृहिणी की भूमिका में दिखाया जाता थां समानता के पथ पर यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जनगणना रिपोर्ट, 2011.
2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 – प्रकाशक– ईश्वर दयाल बघेल, हरी लॉ एजेन्सी, कानपुर (2007)
3. मृणाल पांडे – घरेलू हिंसा का समाजशास्त्र अमर उजाला, 16 फरवरी, 2011 – वाराणसी.
4. Swati Shirwadkar (edited) Family Violence in India, Rawat publications, Jaipur (2009).

*****